राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3580/2016

हरिदास गुप्ता

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.09.2015 के द्वारा 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 25.03.2014 से प्रदान किया गया। उसके पश्चात आदेश दिनांक 01.08.2016 जारी किया गया और 27 वर्षीय एसीपी के लाभ को संशोधित कर लाभ देय दिनांक 25.03.2014 के स्थान पर 18.08.2015 से लाभ प्रदान किया गया। जिसका कारण यह बताया कि चयनोपरान्त कार्य ग्रहण दिनांक 18.08.1988 को किया गया था। 27 वर्षीय एसीपी के लाभ में संशोधन के पश्चात अपीलार्थी का वेतन निर्धारण पुनः किया गया और यह आदेश पारित किया गया कि जो अधिक भुगतान किया गया है, उसे वसूल किया जाए।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 27.03.1987 है। इस प्रकार अपीलार्थी को जो एसीपी का लाभ दिनांक 25.03.2014 से स्वीकृत किया गया था। उसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष कोई मिथ्या कथन प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे में अपीलार्थी से वसूली किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत (1994)2 एस सी सी 521 श्यामबाबू वर्मा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारण किया है कि जहां याची की गलती नहीं रही हो तो ऐसे में याची को उच्च वेतन का लाभ दिया जाता है तो उसकी वसूली नहीं की जा सकती।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को गलत रूप से 27 वर्षीय एसीपी का लाभ दिया गया था, जिसे बाद में संशोधित किया गया है। जिसके तहत अपीलार्थी से वसूली की जा रही है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः आदेश दिनांक 01.08.2016 एवं 23.08.2016 पूर्णतः विधि सम्मत है और अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति से ही 27 वर्षीय एसीपी का लाभ देय है।
4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
5. स्पष्ट रूप से अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.03.1987 को हुई थी। उसके पश्चात अपीलार्थी को नियमित रूप से चयनित किया गया। जिसके उपरान्त अपीलार्थी ने दिनांक 18.08.1988 को कार्य ग्रहण किया। अपीलार्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत (1994)2 एस सी सी 521 श्यामबाबू वर्मा एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में यह निर्धारण किया है कि जहां उच्च वेतन श्रृंखला देने में याची की गलती नहीं रही हो तो उसकी वसूली नहीं की जाए। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दूओं पर अपना निर्णय दिया है :–

"(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
(b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
(c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
(d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
(e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदूओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the

Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. उक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते है कि अपीलार्थी को पूर्व में चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से प्रदान किया जा चुका था तो उसे संशोधित किया जा सकता है, परन्तु उसकी वसूली किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील वसूली की हद तक स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी से आदेश दिनांक 01.08.2016 (अनुलग्नक–7) एवं आदेश दिनांक 23.08.2016 (अनुलग्नक–8) की पालना में वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)